



# सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञापि

दिनांक- 19.06.2026

# सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या एवं दहेज उत्पीड़न के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

- "#Operation Conviction" अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता
- हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का अभियुक्त दोषसिद्ध
- अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं कुल ₹1,15,000/- अर्थदण्ड

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे **"#Operation Conviction"** अभियान के क्रम में थाना रायपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप थाना रायपुर पर पंजीकृत हत्या एवं दहेज उत्पीड़न के अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया गया।

## प्रकरण का विवरण-

थाना : रायपुर, जनपद सोनभद्र

एसटी नं० : 690/2020

मु०अ०सं० : 45/2020

धारा : 498ए, 302 भा०द०वि० एवं 3/4 डीपी एक्ट

## अभियुक्त का विवरण-

**मनोज बनवासी पुत्र सागर बनवासी**, निवासी सिकारपुर, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र।

## मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा

माननीय एएसजे/एफटीसी/सीएडब्लू, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को—

- \* धारा 302 भा0द0वि0 में **आजीवन कारावास** एवं **₹1,00,000/- अर्थदण्ड**।
- \* धारा 498ए भा0द0वि0 में **02 वर्ष का कारावास** एवं **₹10,000/- अर्थदण्ड**।
- \* धारा 3/4 डीपी एक्ट में **01 वर्ष का सश्रम कारावास** एवं **₹5,000/- अर्थदण्ड**।

अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में न्यायालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

## सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-

उक्त प्रकरण में थाना रायपुर पुलिस, अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहरीर एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए सजा सुनिश्चित करायी गयी।

सोनभद्र पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अपराधियों को न्यायालय से दण्डित कराकर कानून के शासन को सुदृढ़ बनाने हेतु निरन्तर प्रतिबद्ध है।